हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प.5(33)एचजेयू/जीएडी/मीटिंग/वि.प.–VI/2023/2907 दिनांकः 07.08.2023

विद्यापरिषद् की षष्ठम बैठक दिनांक 01 अगस्त, 2023 का कार्यवृत्त

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 25 के अन्तर्गत गठित विद्यापरिषद् की षष्ठम बैठक दिनांक 01 अगस्त, 2023 को प्रातः 10:30 बजे सभागार, होटल खासा कोठी, एम.आई. रोड, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में विद्यापरिषद् के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1	प्रो. सुधि राजीव	कुलपति एवं पदेन अध्यक्ष विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
2	श्रीमती अल्का सक्सेना	अतिरिक्त निदेशक एवं नामनिर्देशित प्रमुख सचिव सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
3	डॉ. फिरोज अख्तर	संयुक्त सचिव एवं नामनिर्देशित प्रभारी सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
4	डॉ. राजेश कुमार व्यास	कुलाधिपति द्वारा मनोनीत सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
5	श्री ओम सैनी	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

6	अयूब खान	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
7	डॉ. ऋचा यादव	संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता संकाय एवं सदस्य विद्यापरिषद, एचजेयू, जयपुर
8	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	संकायाध्यक्ष, जनसंचार संकाय एवं सदस्य विद्यापरिषद, एचजेयू, जयपुर
9	डॉ. रतन सिंह शेखावत	संयोजक BoS, मीडिया स्टडीज विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
10	श्रीमती गरिमा श्री	संयोजक BoS, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
11	डॉ. ऋचा यादव	संयोजक BoS, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एण्ड पब्लिक रिलेशंस विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
12	डॉ. शालिनी जोशी	संयोजक BoS, न्यू मीडिया विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
13	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	संयोजक BoS, डवलपमेंट कम्यूनिकेशन विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
14	डॉ. अजय कुमार सिंह	संयोजक BoS, BA-JMC एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर

D: S./VP/IV/Agenda/2023

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

बैठक का आरम्भ कुलसचिव महोदय द्वारा विद्यापरिषद् के विभिन्न पदाधिकारियों के स्वागत तथा कुलपति महोदय द्वारा उद्बोधन में पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की विशिष्ट अपेक्षाओं और आवश्यकताओं की चर्चा के साथ किया गया। तदुपरान्त विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित विद्यापरिषद् के कृत्यों/शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में पारित निर्णयों का कार्यसूचीवार विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य सूची	कार्य का संक्षिप्त विवरण
6-1	विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की पंचम बैठक दिनांक 13.06.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि।
	व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) : विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की पंचम बैठक दिनांक 13.06.2023 को आयोजित की गई। उक्त का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को पत्रांक 1621 दिनांक 21.06.2023 के माध्यम से भिजवाया गया था तथा किसी भी सदस्य से आपत्ति/संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अंतिम कार्यवृत्त सभी सदस्यों को पत्रांक 2235 दिनांक 14.07.2023 के माध्यम से भिजवा दिया गया। उक्त कार्यवृत्त पुनः पुष्टि हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत है।
	संकल्प/निर्णय सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
6-2	विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 दिनांक 18.07.2018 (U.G.C. Regulations, 2018 dated 18.07.2018) को इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पत्रांक एफ 1(6) शिक्षा-4/ 2010 दिनांक 19.08.2020 के माध्यम से प्रेषित दिशा-निर्देशों को समावेशित करते हुए अंगीकृत किए जाने पर विचार एवं अनुमोदन।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

	संकल्प / निर्णय सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 दिनांक 18.07.2018 (U.G.C. Regulations, 2018 dated 18.07.2018) एवं राज्य सरकार द्वारा पत्रांक एफ 1(6) शिक्षा–4 / 2010 दिनांक 19.08.2020 के माध्यम से प्रेषित दिशा–निर्देशों को समावेशित करते हुए अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।
6–3	विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों (01 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 06 असिस्टेंट प्रोफेसर) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की अधिसूचना, 2018 के अनुरूप एवं वर्ष 2013 में स्थापित पूर्ववर्ती हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में विलय तथा हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अनुसरण में, उक्त शिक्षकों को स्थानान्तरित किए जाने की विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नत किए जाने हेतु प्रक्रिया पर विचार एवं अनुमोदन। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** विश्वविद्यालय में वर्ष 2013 से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों को कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति देय है। इस निमित्त राज्य सरकार के पत्रांक दिनांक 24.07.2023 के माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है (पत्र संलग्न)। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 01 एसोसिएट प्रोफेसर, जिन्हें एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के रूप में तथा 06 असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनमें से 03 को असिस्टेंट प्रोफेसर (एकेडमिक लेवल 10) से असिस्टेंट प्रोफेसर (सीनियर स्केल / एकेडमिक लेवल 11) में तथा असिस्टेंट प्रोफेसर (सीनियर स्केल / एकेडमिक लेवल 11) से असिस्टेंट प्रोफेसर (सलैक्शन ग्रेड / एकेडमिक लेवल 12) में 02 स्तरों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुरूप प्रोन्नति हेतु पात्र हैं। शेष 03 असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 से असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर स्केल / एकेडमिक लेवल 11 के लिए पात्र हैं। इस संबंध में अन्य पात्रता संबंधी मापदण्डों का परीक्षण / निर्धारण छानबीन सह–मूल्यांकन समिति (Screening – Cum– Evaluation Committee) द्वारा किया जाएगा।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के द्वारा कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन के लिए तीन स्तरीय प्रक्रिया निर्धारित की गई है:–

विश्वविद्यालय के शिक्षक, विनिर्दिष्ट (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गजट नोटिफिकेशन के अनुरूप) प्रपत्र में वार्षिक स्वमूल्यांकन रिपोर्ट (Annual Self Appraisal Report) विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

विश्वविद्यालय द्वारा उक्तानुरूप तैयार वार्षिक स्वमूल्यांकन रिपोर्ट (Annual Self Appraisal Report) का प्रारूप सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ संलग्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

द्वितीय चरण में, प्रोन्नति के लिए आवश्यक/निर्धारित वर्षों का अनुभव अर्जित किए जाने के उपरान्त, कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) के लिए निर्धारित प्रपत्र में, शिक्षकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय में वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के लिए उक्त चरण, पूर्व में ही संपादित करवाया जा चुका है।

तृतीय चरण में एक विधिवत गठित समिति (छानबीन सह–मूल्यांकन समिति Screening–Cum–Evaluation Committee) द्वारा आवेदनों की जाँच कर प्रोन्नति हेतु सिफारिश की जाती है।

विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप स्कीनिंग– कम–इवैल्यूएशन समिति का गठन किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018 अधिसूचना के मापदण्डानुसार कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया (संलग्न) सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

विश्वविद्यालय में वर्ष 2013 में नियुक्त, ऐसे 03 असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आगामी पे लेवल (AL-10 से AL-11) में प्रोन्नति एवं 01 एसोसिएट प्रोफेसर, जो प्रोफेसर पद (एकडेमिक लेवल 13A से 14) के लिए सेवा अनुभव के आधार पर, 18 जुलाई, 2018 से पूर्व ही पात्रता शर्त पूर्ण करते हैं, उन्हें कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) रेग्यूलेशन 2010 एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नोटिफिकेशन संख्या 141 से 144 (F) के अनुरूप प्रोन्नति दिया जाना

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है। इस संबंध में विद्यापरिषद की अनुशंसा एवं प्रबंध बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों से विकल्प पत्र (Option From) भरवाए जाने का अनुमोदन भी अपेक्षित है। उक्त शिक्षकों को कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नत किए जाने के लिए सत्र 2013 से 2018 हेतु भरवाया जाने वाला वार्षिक स्वमूल्यांकन प्रपत्र (Annual Self Appraisal Report) संलग्न कर विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
	संकल्प / निर्णय प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श के उपरांत यह निश्चय किया गया कि राज्य सरकार को उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शर्तों की बिंदु संख्या 04 के क्रम में विश्वविद्यालय की स्थितियों को देखते हुए शिथिलन दिए जाने एवं कॅरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) से उत्पन्न होने वाले वित्तीय भार को राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने हेतु पत्र दिया जाए। पत्र में विश्वविद्यालय के नवस्थापित होने के बावजूद हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के प्रावधान अनुरूप पूर्ववर्ती हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के निरसन के पश्चात राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्थानांतरित किए शिक्षकों की सेवाएं हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अनुसरण में इस नवस्थापित विश्वविद्यालय में प्रत्यावर्तित किए जाने की विशेष परिस्थिति के कारण स्थापना के साथ ही कॅरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) संबंधी दायित्व निर्वाह किए जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाने तथा नवस्थापित एवं विशेषीकृत शिक्षा का होने के कारण संसाधनों की अत्यल्पता का भी उल्लेख किया जाए। उक्त शर्त संख्या के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा शेष कार्य राज्य सरकार के पत्रानुरूप निर्वाह किए जाएं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 2018 की अधिसूचना के अनुरूप समस्त कार्रवाई करते हुए, संबंधित प्रक्रिया एवं प्रपत्रों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

6–4	विश्वविद्यालय के छात्रसंघ हेतु परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) के परामर्श अनुरूप कार्यकारी छात्र कल्याण अधिष्ठाता द्वारा प्रेषित छात्रसंघ विधान (Constitution of Student Union) पर विचार एवं अनुमोदन।
	संकल्प / निर्णय सर्वसम्मति से छात्रसंघ विधान (Constitution of Student Union) का अनुमोदन किया गया।
6–5	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 46 एवं 47 के अनुसरण में पूर्व में अनुमोदित ऑर्डिनेंस (Ordinance for the Certificate and Diploma Course of Study) में संशोधन उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की अनुरूपता में तैयार नवीन संशोधित ऑर्डिनेंस (Ordinance for the Certificate and Diploma Course of Study) के प्रारूप पर विचार एवं अनुमोदन।
	व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) : विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की तृतीय बैठक में एजेंडा बिंदु 3–5 के क्रम में ऑर्डिनेंस (Ordinance for the Certificate and Diploma Course of Study) की अनुशंसा की गई थी, जिसे बाद में प्रबंध बोर्ड द्वारा भी अनुमोदन कर दिया गया था। विद्यापरिषद एवं प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन अनुरूप उक्त ऑर्डिनेंस को पत्रांक 18598 दिनांक 23.12.2022 के माध्यम से माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से अनुमोदन बाबत भिजवा दिया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2023–24 से सभी पाठ्ययोजनाएं नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप संचालित की जानी हैं। ऐसे में पूर्व में तैयार ऑर्डिनेंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की अनुरूपता में संशोधन किया जाना अपेक्षित है। विश्वविद्यालय द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को पूर्व में प्रेषित उक्त ऑर्डिनेंस के अनुमोदन की प्रक्रिया को स्थगित किए जाने हेतु पत्रांक 2024 दिनांक 03.07.2023 के माध्यम से निवेदन किया जा चुका है।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित उक्त ऑर्डिनेंस (Ordinance for the Certificate and Diploma Course of Study) का राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की अनुरूपता में तैयार संशोधित प्रारूप विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

उक्त ऑर्डिनेंस को प्रबंध बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 28.04.2022 के संकल्प/निर्णय संख्या 4–8 की अनुपालना में गठित समिति को पुनरीक्षण/पुनरावलोकन के लिए भिजवाया गया है। यदि समिति द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं तो इसे संशोधन सहित विद्यापरिषद के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

संकल्प/निर्णय

सर्वसम्मति से नवीन संशोधित ऑर्डिनेंस (Ordinance for the Certificate and Diploma Course of Study) का अनुमोदन किया गया।

6–6 राज्य सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 से समन्वयक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुरूप चार वर्षीय स्नातक एवं एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्ययोजना संचालित किए जाने के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव/प्रारूपों पर विचार एवं अनुमोदन :

विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप चार वर्षीय स्नातक (2023–27) एवं एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्ययोजनाओं (2027–28) की रूपरेखा (structure)

विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप तीन वर्षीय स्नातक (2023–26) एवं दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्ययोजनाओं (2023–25) की रूपरेखा (structure)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्ययोजनाओं के पाठ्यक्रम मय क्रेडिट वितरण, ग्रेडिंग सिस्टम एवं परीक्षा योजना आदि।

व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :

विद्यापरिषद की दिनांक 13.06.2023 को संपन्न हुई विशेष बैठक–पंचम के निर्णय/टिप्पणी क्रमांक 5–7 पर तीन वर्षीय स्नातक एवं दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्ययोजनाओं के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को सत्र 2023–24 से लागू किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तदुपरांत यह संज्ञान में आया है कि राज्य सरकार के

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

निर्देशानुसार सत्र 2023–24 से ही चार वर्षीय स्नातक एवं तत्संबंधित एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किया जाना है। इस निमित्त आदेश क्रमांक 2472 दिनांक 14.07.2023 जारी किया जा चुका है।

इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप विभिन्न अध्ययन बोर्डों के द्वारा तैयार एवं प्रभारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 द्वारा प्रमाणित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्ययोजनाओं के पाठ्यक्रम मय क्रेडिट वितरण, ग्रेडिंग सिस्टम एवं परीक्षा योजना आदि विचार एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

वर्ष 2022–23 में जिन विद्यार्थियों ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (old scheme) में प्रवेश लिया था, उनका पुराने प्रवेश प्रारूप से ही पाठ्यक्रम संचालित होगा एवं परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी।

जो विद्यार्थी इस वर्ष (2023–24) तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को पूरा करके स्नातकोत्तर पाठ्ययोजना में प्रवेश लेंगे, उन्हें दो वर्षीय पाठ्ययोजना के पाठ्यक्रम, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत तैयार किये गये हैं, में प्रवेश दिया जायेगा।

शैक्षणिक सत्र 2023–24 से स्नातकोत्तर स्तर पर यही पाठ्ययोजना आयोजित की जायेगी। शैक्षणिक 2027–28 से एक वर्षीय एवं दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्ययोजनाएं समांतर रूप से संचालित की जायेंगी।

संकल्प / निर्णय

सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संचालित किए जाने वाले स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्ययोजनाओं की रूपरेखा (Structure) एवं स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पीजी डिप्लोमा आदि पाठ्ययोजनाओं के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया।

सदस्यों का सुझाव था कि विभिन्न पाठ्ययोजनाओं के पाठ्यक्रमों में लिपिकीय त्रुटियों का संशोधन करवाकर इन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करवा दिया जाए।

6–7 **प्रतिवेदनीय एजेंडा**

6–7–1 विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए आदेश क्रमांक 1947 दिनांक 01.07.2023 द्वारा जारी एकेडमिक कलैंडर का अनुमोदन।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा जारी एकेडमिक कलैंडर की पुष्टि की गई।
6–7–2	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 धारा 5 (i), (ii) एवं 7 (ग) में विहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यापरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में अधिनियम की धारा 11 (19) में कुलपति महोदय को प्राप्त शक्तियों के आधार पर विश्वविद्यालय सत्र 2023–24 के लिए 4 वर्षीय स्नातक (ऑनर्स) मीडिया स्टडीज पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 2472 दिनांक 24.07.2023 की पुष्टि।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश की पुष्टि की गई। सदस्यों का सुझाव था कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या एवं वित्तीय व्यवहार्यता का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम संचालित किया जाए। उक्त पाठ्ययोजना में विद्यार्थी संख्या का निर्धारण समन्वयक (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक) के प्रस्तावानुरूप किए जाने हेतु कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया।
6–8	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदया की अनुमति से।
	पटल कार्यसूची (टेबल एजेंडा)
6–9	राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रेषित ऑर्डिनेंस संख्या 36 एवं 45 की अनुपालना में विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्य–योजनाओं के पाठ्यक्रमों की कोडिंग सिस्टम एवं विद्यार्थियों के लिए यूनिक आईडी के आधार लागू किये जाने संबंधी आदेश क्रमांक 2707 दिनांक 31.07.2023 की पुष्टि।
	संकल्प / निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश की पुष्टि की गई।

बैठक में विचार–विमर्श अनुसार तैयार कार्यवाही विवरण की सहमति पर पदाधिकारियों के हस्ताक्षर निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	प्रो. सुधि राजीव	कुलपति एवं पदेन अध्यक्ष विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	Sudhi Rajiv

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

2	श्रीमती अल्का सक्सेना	अतिरिक्त निदेशक एवं नामनिर्देशित प्रमुख सचिव सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
3	डॉ. फिरोज अख्तर	संयुक्त सचिव एवं नामनिर्देशित प्रभारी सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
4	डॉ. राजेश कुमार व्यास	कुलाधिपति द्वारा मनोनीत सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
5	श्री ओम सैनी	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
6	अयूब खान	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
7	डॉ. ऋचा यादव	संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता संकाय एवं सदस्य विद्यापरिषद, एचजेयू, जयपुर	[signature]
8	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	संकायाध्यक्ष, जनसंचार संकाय एवं सदस्य विद्यापरिषद, एचजेयू, जयपुर	[signature]
9	डॉ. रतन सिंह शेखावत	संयोजक BoS, मीडिया स्टडीज विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
10	श्रीमती गरिमा श्री	संयोजक BoS, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]

[signature]
कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

11	डॉ. ऋचा यादव	संयोजक BoS, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एण्ड पब्लिक रिलेशंस विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	
12	डॉ. शालिनी जोशी	संयोजक BoS, न्यू मीडिया विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	
13	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	संयोजक BoS, डवलपमेंट कम्यूनिकेशन विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	
14	डॉ. अजय कुमार सिंह	संयोजक BoS, BA-JMC एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	

Sudhi Rajiv

(प्रो. सुधि राजीव)
कुलपति

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

(कुमूल खाती)
RAS
कुलसचिव

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)